इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2016—भाद्र 24, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14939-249-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. कुलसचिव
१२. वित्त नियंत्रक.
१३. संकायाध्यक्ष.
१४. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१५. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१६. शासी निकाय.
१७. शासी निकाय का गठन.
१८. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
१९. कार्य परिषद्.
२०. कार्य परिषद् का गठन.
२१. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२२. विद्या परिषद्.
२३. विद्या परिषद् का गठन.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२५. वित्त समिति.
२६. प्राध्ययन स्कूल.
२७. परिनियम.
२८. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
२९. अध्यादेश.
३०. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. विनियम.
३२. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. वार्षिक रिपोर्ट.
३४. लेखाओं की संपरीक्षा.
३५. विश्वविद्यालय की निधि.
३६. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३७. सम्मानिक उपाधियां.
३८. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.
३९. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.
४०. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६

[दिनांक ६ सितम्बर, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ सितम्बर, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये आधारभूत विज्ञानों, कला, वाणिज्य, विधि और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतम शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्तर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिये अर्ह किसी प्रमुख महाविद्यालय के उन्नयन की योजना के अंतर्गत शहडोल, मध्यप्रदेश में पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपाति;

(ग) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;

(घ) "संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(छ) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(ज) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(झ) "हाल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;

(ट) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;

(ठ) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ड) "केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;

(ढ) "परिनियमों, "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय;

(त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(थ) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में ''पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

(४) विश्वविद्यालय ऐकिक तथा असंबद्धक विश्वविद्यालय होगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(एक) शिक्षण, गवेषणा और विस्तार के माध्यम से उभरती विचारधारा एवं उपागम, उन्नत ज्ञान, बुद्धि और समझ का प्रसार करना;

(दो) अध्ययन की ऐसी शाखाओं में ज्ञान को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करती हों, संस्थागत एवं गवेषणा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्नत करना;

(तीन) विकसित देशों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, आधुनिक साधन एवं पद्धति, प्रतिकृति एवं मापदंडों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोण, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उच्च शिक्षण के लिये, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से नेटवर्क स्थापित करना;

(चार) सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तकनीकी तथा अन्य विषयों की मूल सीमाओं में विज्ञान, कला, वाणिज्य, विधि तथा समुचित कार्यक्रमों में स्नातक/परास्नातक एवं उच्चतर स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(पांच) छात्रों और अध्यापकों तथा नागरिकों के बीच भी देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरुकता एवं समझ प्रोन्नत करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें तैयार करना;

(छह) विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य तथा विधि में शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना;

(सात) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों और अन्य सुसंगत साहित्य का प्रलेखन करना, प्रकाशित करना और प्रसार करना;

(आठ) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हों.

अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग.

५. विश्वविद्यालय शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण की गतिविधयों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में जिसमें विदेशी छात्र सम्मिलित हैं, किसी संस्था के साथ सहयोग कर सकेगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) शिक्षा, गवेषणा, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग/केन्द्र और ऐसी अन्य इकाईयां स्थापित करना जैसी कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) बहिर्वर्ती शिक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना एवं उनका जिम्मा लेना;

(तीन) शिक्षण के लिए जिसमें दूरस्थ तथा मुक्त अध्ययन शिक्षा में अध्ययन की ऐसी शाखाएं सम्मिलित हैं जिन्हें कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और गवेषणा के लिये एवं ज्ञान के उन्नयन एवं प्रसार के लिए उपबंध करना;

(चार) प्रवेश के लिये परीक्षा आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(पांच) ऐसे अध्यापन, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य पदों का सृजन करना जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(छह) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में व्यक्तियों को नियुक्ति करना या अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के रूप में मान्यता देना;

(सात) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अभिनन्दन तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना एवं उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो कि आवश्यक समझे जाएं;

(नौ) विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना;

(दस) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं, उन उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से, जो कि विश्वविद्यालय के समान हो, भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के साथ सहयोग करना;

(ग्यारह) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने और किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिये भी और इसके अधिकार, संपत्तियां प्राप्त करने और किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कोई करार करना;

(बारह) ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार, जिसमें समय-समय पर यथाविहित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है, की मांग करना तथा भुगतान प्राप्त करना;

(तेरह) दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई चल-अचल संपत्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित न्यास अथवा विन्यास संपत्ति सम्मिलित है, अर्जित करना, धारण करना और व्ययन करना, और निधियों का ऐसी रीति में निवेश करना, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे.

(चौदह) शोध एवं सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाओं के लिये उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसे करार करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(पन्द्रह) शोथ तथा अन्य कार्यों के, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(सोलह) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के मामलों के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(सत्रह) अध्यादेश में अभिकथित रीति से सामाजिक उपाधियां और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(अठारह) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक हों.

कुलाधिपति.

८. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) वह उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

कुलपति.

९. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं, पांच वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी.

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संकायाध्यक्ष. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

कुलसचिव

११. एक कुलसचिव होगा, जो साधारण निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं.

वित्त नियंत्रक

१२. एक वित्त नियंत्रक होगा जो वित्त समिति का सचिव होगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं.

संकायाध्यक्ष.

१३. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.

१४. एक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण होगा, जो ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा, जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१५. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(एक) शासी निकाय;
(दो) कार्य परिषद;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) वित्त समिति; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

शासी निकाय.

१६. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा. पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(२) शासी निकाय को कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा.

(३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम से नहीं होगी.

शासी निकाय का गठन.

१७. विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा;

(एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति—अध्यक्ष
(दो) विश्वविद्यालय का कुलपति—उपाध्यक्ष

पदेन सदस्य;

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छह) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, अथवा अपर संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(सात) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(आठ) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(नौ) तीन आचार्य, विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों को छोड़कर, जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(दस) विश्वविद्यालय का कुल सचिव—सचिव.

अशासकीय सदस्य

(ग्यारह) शैक्षणिक विकास तथा गवेषणा के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखने वाले दो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्;

(बारह) दो भूतपूर्व छात्र/एल्यूमिनी (पूर्व छात्र) या प्रसिद्ध व्यक्ति जो किसी भी रीति में चाहे वह कुछ भी हो विश्वविद्यालय से सहयुक्त न हों किन्तु जो ऐसे प्रतिष्ठित शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हों जो शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों.

शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.

१८. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय समस्त आवश्यक कार्रवाईयां करेगा.

(२) शासी निकाय, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा—

(एक) विश्वविद्यालय के परिनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना;

(तीन) कार्य परिषद् या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निकाय के किसी प्रस्ताव, सिफारिश, विनिश्चय या प्रतिवेदन को स्वीकार करना, रद्द करना, पुनर्विलोकन करना, अभिखंडित करना या उसे वापस निर्दिष्ट करना;

(चार) अध्यादेश में संशोधन को प्रस्तावित करना;

(पांच) शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रिती के रूप में और व्यक्तियों को आमंत्रित करना;

(छह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं.

कार्य परिषद्.

१९. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी.

(४) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी.

कार्य परिषद् का गठन.

२०. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;

पदेन-सदस्य

(दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(चार) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग अथवा अपर संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(पांच) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो शासी निकाय के सदस्य है;

(छह) विभागाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे.

(सात) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव;

अशासकीय-सदस्य

(आठ) दो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

(नौ) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य हैं.

कार्य परिषद् की शक्तियां तथ कृत्य.

२१. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी—

(एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं परिनियमों से अनअसंगत विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) शिक्षक वर्ग के पदों के वेतनमान के साथ-साथ अर्हताएं, पारिश्रमिक, कर्तव्य, सेवा शर्तें, अनुशासनिक तथा अपील प्राधिकारी सृजित करना तथा वर्गीकृत करना तथा निर्धारित करना;

(तीन) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, ग्रंथपाल और शिक्षक वर्ग के उतने अन्य सदस्यों को, इस प्रयोजन हेतु विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर, समय-समय पर नियुक्त करना जो कि आवश्यक हों:

परंतु शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा;

(चार) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासकीय, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना तथा इन पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा परिलब्धियां निर्धारित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, संपत्ति और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिये उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जितने कि वह आवश्यक समझे;

(छह) क्रय, दान, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा ऐसी चल या अचल संपत्ति या निधियां अर्जित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;

(सात) विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचना, बंधक रखना, भारित करना/पट्टे पर देना, विनिमय करना या अन्यथा अंतरण या व्ययन करना;

(आठ) बांड, डिबेंचर और वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं या विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर, विश्वविद्यालय किसी स्थावर अथवा जंगम सम्पत्ति के बंधक, भार, आड़मान अथवा गिरवी द्वारा ऐसे धन जुटाना अथवा उधार लेना जो कि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों;

(नौ) शिक्षक वर्ग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना, जहां विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड प्रस्तावित हो;

(दस) अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करना;

(ग्यारह) (क) वार्षिक प्रतिवेदन;
(ख) वार्षिक लेखा तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन;
(ग) वार्षिक बजट;
पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(बारह) बजट में यथा अनुमोदित, आवर्ती और अनावर्ती मदों पर व्यय मंजूर करना;

(तेरह) एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में निधियों को पुनर्विनियोजित करना;

(चौदह) शासी निकाय के समक्ष विचारण हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त मामलों की छंटनी कर उनकी अनुशंसा करना;

(पंद्रह) कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसी सीमाओं से अधिक मौद्रिक मूल्य के अभियांत्रिक कार्यों, पूंजीगत उपस्कर के क्रय और योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग हेतु उपबंध करना;

(सत्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे कि शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(अठारह) विश्वविद्यालय के कुलपति को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना.

(२) **कार्य परिषद् :**

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि हेतु नये विभागों, अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों, विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन कर सकेगी.

(दो) राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्बाधन के अध्यधीन रहते हुए, नवीन विद्यालयों तथा संस्थाओं के सृजन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२२. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

(३) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अध्यादेश में विहित किए जाएं.

विद्या परिषद् का गठन.

२३. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;
(दो) संकायाध्यक्ष, अध्ययन विभाग;
(तीन) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;
(चार) ग्रंथपाल;
(पांच) वित्त नियंत्रक;
(छह) समस्त विभागाध्यक्ष;
(सात) दो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद शासी निकाय के अशासकीय सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
(आठ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव — सचिव

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२४. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्या संबंधी निकाय होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :—

(एक) प्रवेश, शिक्षण के मानकों, परीक्षा, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियों, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि के लिए अध्यादेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना, जिससे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी समस्त मामलों जैसे शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रमों आदि के संबंध में परामर्श करना, योजना बनाना, परिचालन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा प्रबंध करना;

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के संबंध में समतुल्यता अवधारित करना;

(चार) परिसर में, जिसमें सम्मिलित हैं केन्द्र तथा विभाग, परीक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और शास्ति तथा दण्ड, आचरण, परिवीक्षा, समय-पालन आदि, अनुशासन तथा शालीनता बनाए रखने के लिए छात्रों के लिये विनियम बनाना;

(पाँच) शैक्षणिक कार्यक्रम और कलेण्डर, शिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय की वृहत् शैक्षणिक नीतियां निर्धारित करना जिसमें पाठ्यचर्या विकास, अध्ययन बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर पाठ्यक्रम विरचित करना तथा पुनरीक्षित करना सम्मिलित है;

(छह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जैसे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;

(सात) शासी निकाय या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

वित्त समिति.

२५. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति — अध्यक्ष (चेयरपर्सन);
(दो) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो कार्य परिषद् के सदस्य हों;
(तीन) विश्वविद्यालय का कुल सचिव
(चार) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक — सचिव

(२) वित्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, विचार तथा समीक्षा हेतु वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात् संशोधनों सहित या बिना संशोधन के कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे.

प्राध्ययन स्कूल.

२६. (१) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए.

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंभिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राध्ययन स्कूल होंगे :—

(एक) जीव विज्ञान स्कूल;
(दो) शारीरिक विज्ञान स्कूल;
(तीन) गणित और कम्प्यूटर विज्ञान स्कूल;
(चार) सामाजिक विज्ञान स्कूल;
(पांच) वाणिज्य और प्रबंधन स्कूल;
(छह) भाषा स्कूल;
(सात) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल;

(३) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी.

(४) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित की जाए.

(५) प्रत्येक अध्ययन स्कूल ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो कि अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं.

(६) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक अध्ययन बोर्ड होगा जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए.

(७) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएं.

परिनियम.

२७. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(एक) स्कूलों का सृजन;
(दो) शासी निकाय का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(तीन) कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(चार) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(पांच) कुलपति की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें, वेतनमान तथा परिलब्धियां, शक्तियां तथा कृत्य;
(छह) कुलसचिव की शक्तियां और कर्तव्य;
(सात) ऐसे समस्त परिनियम जो अधिनियम के उपबंधों में समनुदेशित हों;
(आठ) शासी निकाय के अनुमोदन से कोई अन्य विषय.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

२८. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा:

परंतु प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमों में कोई परिवर्धन या किसी परिनियम का संशोधन या निरसन, शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा.

अध्यादेश

२९. विश्वविद्यालय निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये अध्यादेश बनाएगा, अर्थात् :—

(एक) अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण मानक, परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियां, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता जिससे की विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;

(तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यों जैसे शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रम आदि का पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा प्रबंधन;

(पांच) आचार संहिता, नियम संहिता, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा विद्यार्थियों के लिए समिति;

(छह) विविध तथा अन्य विषय जो इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३०. प्रथम प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यादेश, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे तथा इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित करवाए जाएंगे:

परन्तु ऐसे अध्यादेशों में किसी संशोधन की दशा में, उक्त संशोधन अनुमोदन की तारीख से लागू होगा.

विनियम.

३१. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम से अनुअसंगत विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के लिए नियुक्ति, सेवा के निबंधन तथा शर्तों, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं, पेंशन, उपदान आदि के लिए अपने स्वयं के विनियम बनाएगा.

विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३२. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेगा या विनियमों को संशोधित या उन्हें निरसित कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक नए विनियम या विनियम में कोई अभिवृद्धि या किसी विनियम में कोई संशोधन या निरसन, कार्य परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

३३. विश्वविद्यालय की वर्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कार्य परिषद् को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसी कि विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

३४. (१) विश्वविद्यालय के लेखे, प्रति वर्ष कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे. लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा भी की जा सकेगी.

(२) संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(३) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संपरीक्षित लेखाओं की और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बारह मास से अनधिक के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

विश्वविद्यालय की निधि.

३५. (१) विश्वविद्यालय निधि के नाम से विश्वविद्यालय की एक निधि होगी और इसकी समस्त प्राप्तियां इसमें जमा की जाएंगी तथा विश्वविद्यालय के समस्त भुगतान उसमें से किए जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या इसमें संदत्त किए जाएंगे—

(एक) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा कोई भाड़ा, अभिदाय या अनुदान;

(दो) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(तीन) समस्स स्रोतों से प्राप्तियां, जिसमें फीस तथा प्रभार सम्मिलित हैं;

(चार) विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां जैसे अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, सेमिनार, परिसंवाद, कार्यशाला आदि के लिए समस्त स्रोतों से प्राप्त निधियां; तथा

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा किसी वैध स्रोत से प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी.

उपाधि तथा उपाधि पत्र.

३६. (१) विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करेगा, अर्थात् :—

(एक) साहित्य में डाक्टरेट (डी. लिट.) या विज्ञान में डाक्टरेट (डी.एससी.) या विधि में डाक्टरेट (एल.एल.डी.);

(दो) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि में (पीएच.डी.);

(तीन) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि में एम. फिल;

(चार) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि एवं सहबद्ध विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि;

(पांच) ऐसी अन्य डाक्टरेट उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक उपाधि या प्रमाण-पत्र जो कि विनियामक प्राधिकरणों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्य राष्ट्रीय परिषद्‌ों के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के माध्यम से विहित किए जाएं.

सम्मानिक उपाधियां.

३७. सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को किया जाएगा तथा यदि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो पुष्टि के लिये कुलाधिपति की सहमति ली जाना अपेक्षित होगी.

उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.

३८. विद्या परिषद्, कम से कम दो तिहाई से अनिम्न सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा, उचित तथा पर्याप्त कारण से, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता या उसे प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या उपाधिपत्र का प्रत्याहरण कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए, लिखित में एक सूचना पत्र न दे दिया जाए तथा जब तक उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों तथा किसी साक्ष्य पर, जो व उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार न कर लिया जाए.

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

३९. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण ऐसी स्थिति उदभूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे कि वह (विश्वविद्यालय) वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हों, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा,—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कि जाए वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अंतर्वलित होती हों, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करें;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की वेतनमान तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्थापना मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;

(छह) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करें.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

४०. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए,

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ से तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए. इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए, तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

४१. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

अस्थायी उपबंध.

४2. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) शासी निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(दो) पंडित एस. एन. शुक्ला, महाविद्यालय, शहडोल की समस्त आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से विश्वविद्यालय की आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व हो जाएंगे.

संरक्षण.

४३. विश्वविद्यालय के कुलापति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14939-249-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 28 OF 2016

PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ACT, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1 Short title and commencement.
2 Definitions.
3 Establishment and incorporation of University.
4 Objectives of the University.
5 Collaboration with other institution.
6 Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.
7 Powers and functions of the University.
8 Chancellor.
9 Vice-Chancellor.
10 Officers of the University.
11 Registrar.
12 Finance Comptroller
13 Dean.
14 Dean Students Welfare.
15 Authorities of the University.
16 The Governing Body.
17 Constitution of Governing Body.
18 Powers and functions of Governing Body.
19 The Executive Council.
20 Constitution of Executive Council.
21 Powers and functions of Executive Council.
22 The Academic Council.
23 Constitution of Academic Council.
24 Powers and functions of Academic Council.
25 Finance Committee.
26 School of Studies.
27 Statutes.
28 Statutes how made.
29 Ordinances.
30 Ordinances how made.
31 Regulations.
32 Regulations how made.
33 Annual report.
34 Audit of accounts.
35 Fund of the University.
36 Degrees and diplomas.
37 Honorary degrees.
38 Withdrawal of degrees, etc.
39 State Government to assume financial control in certain circumstances.
40 Special provision for better administration of University in certain circumstances.
41 Removal of difficulties.
42 Transitional provision.
43 Indemnity.

MADHYA PRADESH ACT
No. 28 OF 2016

PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ACT, 2016

[Received the assent of the Governor on the 6th September, 2016; assent first published in the"Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 15th September,, 2016].

An Act to provide for establishment and incorporation of Pandit S.N. Shukla University at Shahdol, Madhya Pradesh to accelerate higher education, research, extension and training in all aspects of Basic Sciences, Arts, Commerce, Law and other disciplines for educational excellence and socio-economic development of educationally backward classes under upgradation scheme of one leading college qualified to status of University as per Rastriya Uchchatar Shiksha Abhiyan of Government of India.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called Pandit S. N. Shukla University Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means Academic Council of the University;

(b) "Chancellor" means Chancellor of the University;

(c) "Dean" means Dean of School of Study of the University;

(d) "Dean Students Welfare" means Dean of Students Welfare of the University;

(e) "Department" means Department of the University;

(f) "Executive Council" means Executive Council of the University;

(g) "Finance Comptroller" means Finance Comptroller of the University;

(h) "Governing Body" means Governing Body of the University;

(i) "Hall" means a unit of residence, by whatever name called, for students of the University provided, maintained or recognized by it;

(j) "prescribed" means prescribed by Statutes, Ordinances or Regulations;

(k) "recognized institution" means an institution of higher learning maintained or recognized by, or associated with the University;

(l) "Registrar" means Registrar of the University;

(m) "School" means a school maintained by the University;

(n) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;

(o) "University" means Pandit S. N. Shukla University established under section 3;

(p) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);

(q) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the University.

Establishment and incorporation of the University.

3. (1) There shall be established in the State of Madhya Pradesh a University by the name of " Pandit S. N. Shukla University".

(2) The headquarters of the University shall be at Shahdol, Madhya Pradesh.

(3) The University shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) The University shall be unitary and non-affiliating.

Objectives of the University.

4. The objectives of the University are as follows :—

(i) to disseminate emerging ideology and approaches, advance knowledge, wisdom and understanding through teaching, research and extension;

(ii) to advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning which shall fulfil the objectives of the University;

(iii) to establish a network in collaboration with national and international Universities, Institutions and Organizations for advanced learning of technology and techniques, modern tools and methodology, models, modules, strategies and approaches, schemes and programmes, being used in developed countries;

(iv) to conduct integrated courses at graduation/post- graduation and higher levels in Sciences, Arts, Commerce, Law and appropriate programmes in key frontiers of technology and other disciplines to accelerate socio-economic development;

(v) to promote in the students and teachers, and also among citizens an awareness and understanding of social needs of the country and prepare them for fulfilling such needs;

(vi) to make special provisions for integrated courses in Science, humanities, Commerce and Law in education, research, extension and training programmes of the University;

(vii) to document, publish and disseminate works done by the University and other relevant literature;

(viii) to do all such things as are conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Collaboration with other institution.

5. The University may collaborate with any institution outside the State of Madhya Pradesh or abroad including overseas students for carrying out partly or wholly any of its education, research, extension and training activities, with the approval of the Governing Body.

Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.

6. The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, creed, sex, place of birth, political or other opinion or any of them in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

Powers and functions of the University.

7. The University shall have following powers and functions, namely:—

(i) to establish Departments/Centres and such other units for education, research, extension and training as are necessary for the furtherance of its objectives;

(ii) to organize and undertake extra-mural teaching, extension and training activities, personality and skill development, capacity building and remedial courses;

(iii) to provide for instruction including distance and open learning education in such branches of learning as University may determine from time to time and make provision for research and advance dissemination of knowledge;

(iv) to conduct examinations for admission and grant of diplomas or certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on persons and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for reasonable and sufficient cause;

(v) to create such teaching, technical, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto;

(vi) to appoint persons as Professors, Associate Professors, Assistant Professors, or otherwise recognize as teachers of the University;

(vii) to institute and award Fellowships, Scholarships, Felicitations and prizes;

(viii) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;

(ix) to make arrangements for promoting health and general welfare of students and employees of the University;

(x) to co-operate with any other University, authority or association or any other public or private body in India and abroad having in view the promotion of objectives similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed;

(xi) to enter into any agreement with Central Government, State Government, University Grants Commission or other authorities for receiving grants and also for the incorporation in the University of any other institution and for taking over its rights, properties and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xii) to demand and receive payment of such fees and other charges including for self-finance courses as may be prescribed, from time to time;

(xiii) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property movable or immovable, including trust or endowed property within or outside the State of Madhya Pradesh, for the objects of the University, and to invest funds in such manner as the University may deem fit;

(xiv) to make provision for research and advisory and consultancy services, and for that purpose to enter into such agreement with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xv) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work which may be issued by the University;

(xvi) to borrow, with the approval of the State Government, on the security of the University property, money for the purposes of the University affairs;

(xvii) to confer honorary degrees and other academic distinctions in the manner laid down in the Ordinance;

(xviii) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment or enlargement of all or any of the objectives of the University.

Chancellor.

8. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be Chancellor of the University.

(2) He shall preside over the convocation for conferring degrees and shall chair meetings of the Governing Body.

Vice-Chancellor.

9. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a term of five years in such manner and with such powers and functions as prescribed in the Statute.

(2) The Vice- Chancellor shall be the principal administrative and academic officer of the University. He shall chair the meetings of the Executive Council and Academic Council.

(3) In the absence of the Chancellor, he shall preside over a convocation for conferring degrees and meetings of the Governing Body.

Officers of the University.

10. The officers of the University shall include Dean of Faculties, Dean Students Welfare, Registrar, Finance Comptroller and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

Registrar.

11. There shall be a Registrar who shall act as Secretary of the General Body, the Executive Council and the Academic Council and who shall be appointed in such manner as specified in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983 and exercise and perform such powers and duties as prescribed in the Statutes.

Finance Comptroller.

12. There shall be a Finance Comptroller who shall be Secretary of the Finance Committee and shall be appointed in such manner as specified in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983 and exercise and perform such powers and duties as prescribed in the Statutes.

Dean .

13. There shall be a Dean for each School of Study who shall be appointed in such manner with such powers and duties as may be prescribed in the regulations.

Dean Students Welfare .

14. There shall be a Dean Students Welfare who shall be appointed in such manner with such powers and duties as may be prescribed in the regulations.

Authorities of the University.

15. The following shall be the authorities of the University :—

(i) the Governing Body,

(ii) the Executive Council,

(iii) the Academic Council,

(iv) the Finance Committee, and

(v) such other authorities as may be prescribed by the Statutes.

The Governing Body.

16. (1) The Governing Body headed by the Governor of Madhya Pradesh shall be the supreme authority of the University. The term of its members other than ex-officio members shall be three years. The non-official members shall be nominated by the State Government in consultation with Vice-Chancellor.

(2) The Governing Body shall have the power to review the acts of the Executive Council and the Academic Council (save when these authorities have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances) and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act, Statutes, Ordinances or Regulations:

Provided that the power of review under this sub-section shall not be exercised except by a majority of total membership of the Governing Body and by a majority of not less than two-third of the members of the Governing Body present and voting.

(3) Quorum for a meeting of the Governing Body shall be not less than one-third of the total members of the Governing Body.

Constitution of Governing Body.

17. The Governing Body of the University shall consist of—

(i) the Chancellor of University - Chairperson;

(ii) the Vice-Chancellor of the University - Vice-Chairperson;

Ex-Officio Members

(iii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iv) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(v) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department or his nominee not below the rank of Additional Secretary;

(vi) the Commissioner, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Additional Director;

(vii) the Chairperson, University Grants Commission or his nominee;

(viii) three Deans of the University nominated by the Chancellor for three years on rotation basis;

(ix) three Professors excluding Deans of the University nominated by the Chancellor for three years on rotation basis;

(x) the Registrar of the University - Secretary

Non-official Members

(xi) two eminent academician having academic or research experience in the field of educational development and research;

(xii) two ex-student/alumni or famous personality not associated with the University in any manner whatever but associated with Government/Non-Government Organisations of repute, having experience in the field of educational development.

Powers and functions of Governing Body.

18. (1) The Governing Body shall take all necessary actions for achievement of objectives of the University.

(2) The Governing Body shall exercise the following powers:—

(i) make and amend Statutes of the University;

(ii) review the progress and ensure fulfilment of the objectives of the University;

(iii) accept, reject, review, quash or refer back any proposal, recommendation, decision or report of Executive Council or any body appointed under this Act;

(iv) propose amendments in the Ordinance;

(v) invite additional persons as special invitees over and above the members of the Governing Body;

(vi) exercise such other powers and discharge such other functions as may be conferred upon it by the Act.

The Executive Council.

19. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University.

(2) The terms of its members, other than ex officio members, shall be three years. The non-official members shall be nominated by the Chairperson of the Executive Council, from amongst non-official members of the Governing Body.

(3) The Executive Council shall be in charge of the general management and administration (including the revenue and property) of the University.

(4) Quorum for a meeting shall be at least one-half of the total members of Executive Council.

Constitution of Executive Council.

20. The Executive Council of the University shall consist of the following members:—

(i) Vice-Chancellor of the University - Chairperson

Ex-Officio Members

(ii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iii) the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(iv) the Commissioner, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Additional Director;

(v) three Deans of University, who are the members of the Governing Body;

(vi) Heads of the Department nominated by the Vice-Chancellor for three years by rotation;

(vii) Registrar of the University – Secretary;

Non-official Members

(viii) two eminent academician, who are the members of the Governing Body;

(ix) two eminent persons, who are the members of Governing Body.

Powers and functions of Executive Council.

21. (1) The Executive Council shall exercise the following powers and perform the following functions :—

(i) to make and amend Regulations not inconsistent with the Ordinance and Statutes of University from time to time;

(ii) to create, classify and determine the qualifications, emoluments, duties, service conditions, disciplinary and appellate authorities of faculty posts along with pay-scales;

(iii) to appoint from time to time professors, associate professors, assistant professors, librarian and other members of faculty as may be necessary on the recommendation of the selection committee constituted by regulations for the purpose:

Provided that the academic posts shall be created with the prior approval of the State Government;

(iv) to create administrative, ministerial and other necessary posts with the prior sanction of the State Government and to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts;

(v) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University and for that purpose, to appoint such agents as it may deem fit;

(vi) to acquire by purchase, gift, exchange, lease, hire or otherwise, movable or immovable property or funds, not inconsistent with objectives of University and the provisions of this Act;

(vii) to sell, mortgage, charge, lease, exchange or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property of the University;

(viii) to borrow or raise moneys which may be required for the purpose of the University, upon bonds, debentures and promissory notes or other obligations or securities of the University by mortgage, charge, hypothecation or pledge of any movable or immovable property of the University;

(ix) to consider reports of enquiry in disciplinary proceedings against faculty where it is proposed to award them major punishment as per Statutes of the University;

(x) to act as the appellate authority in service matters of employees as per the provisions contained in the Ordinance;

(xi) to consider and approve:

(a) annual report;

(b) annual accounts and auditor's report;

(c) annual budget;

(xii) to sanction expenditure on recurring and non-recurring items as approved in the budget;

(xiii) to re-appropriate funds from one budget head to another;

(xiv) to scrutinise and recommend all matters before they are placed for consideration of the Governing Body;

(xv) to give approval for engineering works, purchase of capital equipment and implementation of schemes and projects of monetary value above such limits as may be determined by the Executive Council from time to time;

(xvi) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(xvii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or delegated on it by the Governing Body;

(xviii) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor of the University or a committee appointed by it as it may deem fit.

(2) The Executive Council may:

(i) create new Departments, Research and Development Centres, Extension and Training Centres for the promotion and fulfilment of objectives of the University;

(ii) recommend to the Governing Body for creation of new Schools and Institutions subject to clearance of the Finance Department of the State Government.

The Academic Council.

22. (1) The Academic Council shall be the highest academic body of the University.

(2) The terms of its members, other than ex officio members, shall be three years.

(3) The Academic Council shall be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination, and shall exercise such other powers and perform such other functions as prescribed in the Ordinance.

Constitution of Academic Council.

23. The Academic Council of the University shall consist of :—

(i) Vice-Chancellor of the University–Chairperson;

(ii) Deans, Schools of Studies;

(iii) Dean Students Welfare;

(iv) Librarian;

(v) Finance Comptroller;

(vi) all Heads of Departments;

(vii) two eminent academician who are non-official members of Governing Body, to be nominated by Chairperson;

(viii) Registrar of the University - Secretary.

Powers and functions of Academic Council.

24. The Academic Council shall have following powers and functions:—

(i) to make and amend Ordinance for admission, standards of instructions, examination, evaluation, fellowships, fees, concessions, attendance, discipline, educational advancement and academic excellence etc. so as to fulfil objectives of the University;

(ii) to advise, plan, steer, supervise, monitor and manage all academic affairs of University - education, research, extension and training, distance education, international collaboration and exchange programmes etc;

(iii) to recognize degrees and diplomas of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the degree and diplomas of the University;

(iv) to make regulations for students to maintain discipline and decorum in campus premises including schools and departments, examination, library, hostels, sports, cultural activities, penalty and punishment, conduct, probation, punctuality etc;

(v) to approve academic programmes and calendar, courses of education and lay down broad academic policies of the University including curriculum development, framing and revising syllabi through Board of Studies from time to time;

(vi) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, and Regulations made thereunder;

(vii) to report on any matter referred to it by the Governing Body or the Executive Council;

(viii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

Finance Committee.

25. (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor - Chairperson;

(ii) three Deans of the University, who are members of Executive Council;

(iii) Registrar of the University;

(iv) Finance Comptroller of the University - Secretary.

(2) The Finance Committee shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(3) The annual accounts and financial estimates of the University prepared by the Finance Comptroller shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval with or without amendments.

School of Studies.

26. (1) There shall be such number of Schools as determined by the Governing Body and such numbers of Centres and Departments of Studies as determined by the Executive Council from time to time.

(2) Without prejudice to the foregoing provisions, the University shall have the following Schools of Studies, initially:—

(i) School of Biological Science;

(ii) School of Physical Science;

(iii) School of Mathematics and Computer Science;

(iv) School of Social Science;

(v) School of Commerce and Management;

(vi) School of Language;

(vii) School of Law and Social Justice.

(3) The Governing Body may set up Schools and Executive Council may set up Centres and Departments on the recommendation of the Academic Council.

(4) Every School of Studies shall have a Dean who shall be appointed in the manner as may be prescribed in the regulations.

(5) Every School of Studies shall consist of such Departments as shall be assigned to it by the Ordinances.

(6) Every School of Studies shall have a Board of Studies comprising of such members as may be prescribed by the Ordinances.

(7) The powers and functions of the Board of Studies shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the matters of the University, namely:—

(i) creation of Schools;

(ii) constitution, powers and functions of Governing Body and other matters connected therewith;

(iii) constitution, powers and functions of Executive Council and other matters connected therewith;

(iv) constitution, powers and functions of Academic Council and other matters connected therewith;

(v) appointment, terms and conditions, pay-scales and emoluments, powers and functions of Vice-Chancellor;

(vi) powers and duties of the Registrar;

(vii) all such statute as assigned in provisions of the Act;

(viii) any other matters with the approval of Governing Body.

Statutes how made.

28. The University shall, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes:

Provided every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall be made with the approval of the Governing Body.

Ordinances.

29. The University shall make Ordinances for all or any of the matters, namely:—

(i) courses of study, admission, standards of instructions, conduct of examination, evaluation, fellowships, fees, concessions, attendance, discipline, educational advancement and academic excellence so as to fulfil objectives of the University;

(ii) degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University and qualifications of the same;

(iii) examination leading to the degrees, diplomas, certificates of the University.

(iv) supervision, monitoring and managing all academic affairs of University - education, research, extension and training, distance education, international collaboration and exchange programmes etc.

(v) code of conduct, conduct rules, disciplinary actions and committees for students;

(vi) miscellaneous and other matters which by this Ordinance or the Statutes are also to be or may be provided by the Ordinances.

Ordinances how made.

30. The first administrative and academic Ordinances shall be made by the Vice- Chancellor and Ordinances so made, shall be got approved by the Executive Council:

Provided that in case of any amendment in such Ordinances the said amendment shall be applicable from the date of approval.

Regulations.

31. Not inconsistent with this Act, the University shall formulate its own Regulations for appointments, terms and conditions of service, pay and allowances, retirement benefits, pension, gratuity etc. for faculty and officers and employees of the University.

Regulations how made.

32. The University shall, from time to time, make new or additional Regulations or may amend or repeal the Regulations:

Provided every new Regulation or addition to the Regulations or any amendment or repeal of a Regulation shall be made with the approval of Executive Council.

Annual report.

33. The annual report of the University shall be prepared and shall be submitted to the Executive Council on or before such date as may be prescribed.

Audit of accounts.

34. (1) The accounts of the University shall at least once in every year, be audited by a Chartered Accountant appointed by the University. The accounts shall also be audited by the Accountant General.

(2) A copy of the audited accounts, together with the audit report shall be presented before the Executive Council for approval.

(3) A copy of the audited account and audit report, for each financial year as approved by the Executive Council shall be submitted to the Government not more than twelve months after the end of the financial year.

Funds of the University.

35. (1) The University shall have fund called "University Fund" and all its receipts shall be credited thereto and all payments of University shall be made therefrom.

(2) The following shall form part of, or be paid into the University Fund-

(i) any rent, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;

(ii) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(iii) receipts from all sources including fees and charges;

(iv) funds received from all sources for various programmes and activities like teaching, research, training, extension, seminars, symposia, workshops etc; and

(v) all other sums received by the University from any valid source.

(3) The University Fund shall be kept in any Nationalised Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934).

Degrees and diplomas.

36. (1) The University shall confer the following degrees, namely:—

(i) Doctor of Literature (D.Litt.) or Doctor of Sciences (D.Sc.) or Doctor of Law (LLD);

(ii) Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Science, Arts, Commerce and Law;

(iii) Master of Philosophy (M.Phil.) in Science, Arts, Commerce and Law;

(iv) Bachelors and Masters Degree of Science, Arts, Commerce and Law and allied subjects;

(v) such other Doctors or Masters or Post Graduate or Graduate Degrees or integrated courses or foreign study exchange programmes or Diplomas or Certificates as may be prescribed through Ordinances of the University in accordance with norms

of regulatory authorities viz. University Grants Commission and other National Councils established by the Government of India for the purpose.

Honorary degrees.

37. Any proposal for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council to the Executive Council and the proposal if accepted by the Executive Council shall require the assent of the Chancellor for confirmation.

Withdrawal of degrees etc.

38. The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two thirds members, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such resolution should not be passed and until his objections, if any and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Academic Council.

State Government to assume financial control in certain circumstances.

39. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of such University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remains in operation, the executive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the said University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:

(i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;

(ii) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

(iii) a provision requiring the submission of every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Government for sanction;

(iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by University;

(v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teachers and other persons employed by University;

(vi) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a result of noncompliance of the direction given under this Section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary to Government, Madhya Pradesh Higher Education Department, be recovered from such officer as an arrear of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Special provision for better administration of University in certain circumstances.

40. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University can not be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) shall from the date specified in the notification (hereinafter in this Section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.
(3) As from the appointed date, the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor, who shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:

(i) every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) until the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council:

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Executive

Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted, whichever is later:

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Removal of difficulties.

41. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Transitional provisions.

42. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes-

(i) the members of the Governing Body, the Executive Council and the Academic Council shall be nominated by the State Government in consultation with Vice-Chancellor and shall hold office for a term of three years;

(ii) all assets, records and liabilities of Pandit S. N. Shukla College, Shahdol shall become assets, records and liabilities of the University with effect from the date of commencement of this Act.

Indemnity.

43. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or any Statutes, Ordinances and regulations made thereunder.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.